न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
01/2021	अपील 75 LRA	04.03.2021	04.10.2022

1. राजपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम लालासर बनीरोतान तहसील चूरू जिला चूरू (राज.)

–अपीलाण्ट–

बनाम

1. ग्राम पंचायत लालासर बनीरोतान पंचायत समिति, चूरू तहसील चूरू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लालासर बनीरोतान तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. आचू पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासी लालासर पट्टा राजपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. ओमप्रकाश पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी लालासर पट्टा राजपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. कान्ता पुत्री परमेश्वरी पुत्री सुखाराम पत्नी मीरसिह जाति जाट निवासीनी ग्रम दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. दीपचंद पुत्र श्योकोरी पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासी सिरसला तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. रामनिवास पुत्र श्योकोरी पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासी सिरसला तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. रोहिताश पुत्र परमेश्वरी पुत्री सुखाराम पत्नी मीरसिह जाति जाट निवासीनी ग्रम दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. लिछमा पुत्री सुखाराम पत्नि शुभकरण निवासी पुनियां कॉलोनी चूरू
9. श्रवण पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी लालासर पट्टा राजपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. सुनिता पुत्री परमेश्वरी पुत्री सुखाराम पत्नी मीरसिह जाति जाट निवासीनी ग्रम दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. सरोज पुत्री परमेश्वरी पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासीनी ग्रम दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. मुकेश पुत्री परमेश्वरी पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासीनी ग्रम दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. ममता पुत्री परमेश्वरी पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासीनी ग्रम दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. रेखा पुत्री परमेश्वरी पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासीनी ग्रम दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
15. शारदा पुत्री श्योकोरी पुत्री सुखाराम जाति जाट निवासीनी ग्रम सिरसला तहसील व जिला चूरू (राज.)

15(1) नानू पुत्री सुखाराम पत्नि गिरधारी जाति जाट निवासी गुसाईसर तहसील रतनगढ़ व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 18:52:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

16. तहसीलदार, चूरू

—रेस्पोडेण्ट्स—

17. राजेश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम लालासर बनीरोतान तहसील व जिला चूरू

—गोण रेस्पोडेण्ट —

अपील विरूद्ध निर्णय प्रस्ताव व आदेश इन्तकाल सं. 576 दिनांक 05.06.2019

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री रघुनन्दन सोनी, अपीलाण्टान
2. राजपैरोकार नायब तहसीलदार चूरू

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से पेश अपील से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम पंचायत लालासर बनीरोतान द्वारा विरासतन नामान्तरकरण संख्या 576 स्वीकृति आदेश प्रस्ताव व निर्णय दिनांक 05.06.2019 न्याय के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत खिलाफ कानून खिलाफ कायदा दर्ज किया गया जो काबिले अपास्त किये जाने योग्य है। जैर अपील खसरा नं. 5, 49, 50, 93, 98, 116 कुल किता 6 तादादी 147 बीघा 17 बिश्वा (37.3953 हैक्टेयर) रोही मौजा लालासर पट्टा राजपुरा तहसील चूरू के खातेदार सुखाराम ने अपने हिस्सा की भूमि में से 322 हिस्सा कृषि भूमि की वसीयत अपीलांट व उसके भाई गौण रेस्पोडेण्ट सं. 17 राजेश के पक्ष में तहरीर व तकमील करवाकर दिनांक 21.10.1999 को कार्यालय उप पंजियक चूरू के यहां से पंजीकृत करवाई गई थी । वसीयत कर्ता श्री सुखाराम की मृत्यु दिनांक 16.03.2011 को हो जाने के दिन वसीयत प्रभाव में आ गई, उक्त वसीयत के प्रभाव में आने के बाद अपीलांट ने तहसीलदार चूरू को वसीयत के आधार पर वसीयती कृषि भूमि का नामान्तरण अपीलांट के नाम से दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर विद्वान तहसीलदार चूरू के द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई थी एवं इस बाबत सर्वसाधारण से आपत्ति राष्ट्रीयकृत अखबार में दिनांक 22.02.2019 को साया कराई गई एवं सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत लालासर बनीरोतान के नोटिस बोर्ड पर चस्पांदगी करवाई जाकर नामांतरकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही शुरू कर दी, मगर इसके बावजूद उक्त कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान मनमाने ढ़ंग से वसीयतकर्ता सुखाराम के वारिशान के नाम से कुर्सीनामा से ग्राम पंचायत लालासर बनीरोतान के द्वारा नामांतरकरण स्वीकृत करते हुये उसकी प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज कर ली गई, इस तथ्य की जानकारी अपीलाण्ट को होने पर उसके द्वारा ग्राम पंचायत लालासर बनीरोतान द्वारा की गई उक्त कार्यवाही से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गयी है।

जिसमें अपीलाण्ट द्वारा अपील में यह भी तर्क दिया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 में यह प्रावधान है कि ''आसामियों का उतराधिकार जब आसामी अन्तिम इच्छा पत्र छोड़े बिना मृत्यु ... के भूमि क्षेत्र में उसके हित उसके उस व्यक्तिगत कानून के अनुसरण में अवतरित ... से कि वह उपनी मृत्यु के समय अधीन था'' इस प्रकार प्रकरण में व... शेष हिस्सा की भूमि का नामांतरकरण उसके वारिसान ... जाना चाहिये था इसलिये ग्राम पंचायत लालासर बनीरोतान द्वारा विधि के विरचित सिद्धा... के विपरीत जाकर विरास्तन नामांतरकरण संख्या 576 दिनांक 05.06.2019 दर्ज किया गया जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को तहसीलदार महोदय, चूरू पटवारी हल्का लालासर, हल्का गिरदावर व तहसीलदार चूरू ने वसीयत के आधार पर नामांतरकरण की लम्बित कार्यवाही के दौरान ही के आदेश दिनांक 25.01.2021 से हुई जिसके द्वारा प्रार्थी का वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र को इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 18:52:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

आधार पर खारिज किया कि ''प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि को ग्रम पंचायत लालासर बनीरोतान द्वारा नामांतरकरण सं. 576 दिनांक 05.06.2019 वसीसतकर्ता के वारिसान के नाम दर्ज कर दिये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।'' जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 04.02.2021 को प्राप्त होने से अपीलाण्ट को विरासतन नामांतरकरण सं. 576 दिनांक 05.06.2019 की दर्ज होने का ज्ञान हुआ जिससे अपील अन्दर मियाद उचित न्याय शुल्क पर पेश की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत लालासर बनीरोतान द्वारा दिनांक 05.06.2019 को मृतक सुखाराम के समस्त उतराधिकारीगण के नाम से विरासतन नामांतरकरण सं. 576 स्वीकृत किया गया को अपास्त फरमाया जाकर वसीयत पत्र दिनांक 21.10.1999 के आधार पर प्रार्थी अपीलांट व गौण रेस्पोडेंट संख्या 17 के नाम से नामांतरकरण स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करें ।

प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से दर्ज रजिस्टर की गयी तथा रेस्पोडेण्टान को सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 15, 15(1) को सम्यक् रूप से डाक द्वारा सम्मन तामील करवाये जाने के उपरान्त भी स्वंय या उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, जिससे रेस्पोडेण्टान के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वकील अपीलाण्ट व राजपैरोकार ने सीधी बहस हेतु अपनी सहमति जाहिर की जिस पर वकील अपीलांट व राजपैरोकार की बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए कहा कि तहसीलदार चूरू द्वारा की जा रही वसीयत के आधार पर कृषि भूमि के नामांतरकरण करने की कार्यवाही के दौरान ग्रम पंचायत लालासर बणीरोतान द्वारा नामांतकरण संख्या 576 दिनांक 05.06.2019 विरासतन दर्ज कर दिया गया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत किया गया है, नियमानुसार नही होने तथा नियमों के विपरीत होने से काबिले खारिज है । पेरोकार राज द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि न्यायालय तहसीलदार चूरू में वसीयत की सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 576 दर्ज कर दिया जो नियमानुसार उचित नहीं हैं।

अपीलाण्टान द्वारा प्रस्तुत अपील, पेश दस्तावेजात एवं विद्वान अभिभाषक एवं राज पैरोकार की बहस के तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा पेश अपील ग्राम लालासर पट्टा राजपुरा के नामान्तरकरण सं. 576 दिनांक 05.06.2019 के विरूद्व पेश की गई है। जिस नामान्तरकरण के द्वारा सुखाराम के फौत हो जाने पर कुर्सीनामा के आधार पर ग्रम पंचायत द्वारा दौराने न्यायालय तहसीलदार चूरू में वसीयत की सुनवाई के नामान्तरकरण दर्ज कर रेस्पोडेण्टान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिये गये। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार निर्वसीयती सम्पति का ही वारिसों के नाम नामान्तरकरण किया जा सकता है, जबकि मृतक स्व. सुखाराम द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि के 322 हिस्से की कृषि भूमि की पंजीकृत वसीयत दिनांक 21.10.1999 को अपीलाण्ट व गौण अपीलाण्ट सं.17 को कर दी गयी थी जो स्व. सुखाराम की मृत्यु दिनांक 16.03.2011 से प्रभाव में आ गयी।

उपरोक्त आधारों व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावे[illegible] के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन नामान्त[illegible] 05.06.2019 दौराने वसीयत के आधार पर नामांतकरकरण दर्ज करने की कार्यवाही के किया गया है जो लम्बित वाद के सिद्धान्त के खिलाफ दर्ज होने से प्रथम दृष्टया ही वसीयत की ह[illegible]क खारिज योग्य है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य हो जाती है।

खण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 18:52:00 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 576 दिनांक 05.06.2019 ग्राम लालासर पट्टा राजपुरा द्वारा वसीयत पत्र दिनांक 21.10.1999 बहक अपीलाण्ट व गौण रेस्पोडेण्ट सं. 17 हिस्सा 322 की हद तक खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार, चूरू को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि अगर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं है तो अपीलाधीन कृषि भूमि ख.नं. 5, 49, 50, 93, 98, 116 कुल किता 6 तादादी 147 बीघा 17 बिश्वा (37.3953 हैक्टेयर) रोही मौजा लालासर पट्टा राजपुरा तहसील चूरू में स्व. सुखाराम के हिस्से की कृषि भूमि में से 322 हिस्से की वसीयत के आधार पर सुनवाई की जाकर प्रकरण निस्तारित करें।

आदेश आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 18:52:00 IST
Reason: SelfAttested